न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—15 / 2020
जीसीएमएस नं.—2020 / 00032

रेशमसिंह पुत्र बूटासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 71 जीबी (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——————वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री सुखविन्द्रसिंह अधिवक्ता वादी की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांकः—27/05/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वाके चक 77 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—30 पत्थर सं.—276 / 422 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी संयुक्त रूप से वादी के नाम मनजीतसिंह पुत्र बूटासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र में दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.06.1974 को प्रतिफल की ऐवज में खरीद की गई थी तदुपरांत उक्त कृषि भूमि पंजीकृत बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो वर्तमान में वादी के नाम मनजीतसिंह पुत्र बूटासिंह के संयुक्त रूप से भाई के भाईयो कुलदीपसिंह, कश्मीरसिंह, जगजीतसिंह पुत्रगण बूटासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। निरन्तर वादी के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है जिसका वादी सह—खातेदार कृषक है। वादी का रिकार्ड में नाम रेशमसिंह पुत्र बूटासिंह है, लेकिन उसका घरेलू नाम मनजीतसिंह होने के कारण वादी को दोनों नामों से रेशमसिंह व मनजीतसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे वादी जो ग्रामीण परिवेश परिवार का सदस्य हैं कालान्तर में उक्त कृषि भूमि खरीद करते समय वादी के परिजनों द्वारा वादी के सही नाम रेशमसिंह के स्थान पर घरेलू नाम मनजीतसिंह दस्तावेज लेखक को बता दिया गया जिस पर दस्तावेज लेखक द्वारा सबहन से वादी का घरेलू नाम मनजीतसिंह बैयनामा में दर्ज कर दिया गया तदुपंरात जो रिकार्ड तैयार हुआ उसमें वादी के सही नाम रेशमसिंह की बजाय मनजीतसिंह दर्ज हो चुका है जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का रिकार्ड में नाम रेशमसिंह पुत्र बूटासिंह है। वादी के परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि जिनकी प्रतियां संलग्न वाद पत्र हैं जिन समस्त दस्तावेज में वादी नाम रेशमसिंह पुत्र बूटासिंह दर्ज हैं लेकिन वादी का घरेलू नाम मनजीतसिंह होने के कारण वादी को घर पर परिजन मनजीतसिंह के नाम से ही पुकारते थे जबकि वादी का रिकार्ड में नाम रेशमसिंह ही है इस प्रकार रेशमसिंह व मनजीतसिंह वादी का ही नाम है।

अतः वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज वादी के घरेलू नाम मनजीतसिंह पुत्र बूटासिंह को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम रेशमसिंह पुत्र बूटासिंह दर्ज किया जाकर इसी अनुसार वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वाके चक

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

77 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–276/422 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा के सम्बधं में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावें।

प्रकरण में तहसीलदार, अनूपगढ़ से जबाव स्टेट प्राप्त किया गया। जबाव स्टेट में दर्ज तथ्यों के अनुसार वादी रेशमसिंह द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत आयकर पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, राजकीय प्राथमिक पाठशाला 71 जीबी (ए) द्वारा जारी ट्रॉन्सफर सर्टिफिकट, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में रेशमसिंह पुत्र श्री बूटासिंह निवासी 71 जीबी (ए) दर्ज है, परन्तु रेशमसिंह और मनजीतसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने बाबत् कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस सम्बंध में सम्बधित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं वादी का शपथ पत्र अत्यावश्यक है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पचांयत 71 जीबी जमाबन्दी सम्वत् खाता संख्या 11 में वर्णित भूमि सह–खातेदारी की भूमि है, जिसमें सह–खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में सह–खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था अथवा उनकी सहमति दर्ज करवाई जानी चाहिये थी। रेशमसिंह और मनजीतसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, वादी का शपथ पत्र तथा समस्त सहखातेदारान का सहमति पत्र लिया जाकर राजस्व हित सुरक्षित रखते हुए वादी के हर्जे–खर्चे पर वादी डिक्री किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

वादी साक्ष्य में गवाह प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श 2 रजि. बैयनामा फोटो प्रति, प्रदर्श 3 पैन कार्ड फोटो प्रति, प्रदर्श 4 आधार कार्ड फोटो प्रति, प्रदर्श 5 निर्वाचन कार्ड फोटो प्रति, प्रदर्श 6 राशन कार्ड फोटो प्रति, प्रदर्श 7 पाठशाला टी. सी. प्रमाण पत्र फोटो प्रति, प्रदर्श 8 मूल निवास फोटो प्रति आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वादी रेशमसिंह द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत आयकर पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, राजकीय प्राथमिक पाठशाला 71 जीबी (ए) द्वारा जारी ट्रॉन्सफर सर्टिफिकट, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजो में रेशमसिंह पुत्र श्री बूटासिंह निवासी 71 जी.बी. (ए) दर्ज है, परन्तु रेशमसिंह और मनजीतसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने बाबत् कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस सम्बध में सम्बधित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र अत्यावश्यक है। पत्रावली में सलग्नं ग्राम पचांयत 71 जीबी जमाबन्दी सम्वत् खाता संख्या 11 में वर्णित भूमि सह–खातेदारी की भूमि है। वादी की कृषि भूमि पंजीकृत बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो वर्तमान में वादी के नाम मनजीतसिंह पुत्र बूटासिंह के संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। बैयनामा में शुद्वि होने उंपरात ही राजस्व रिकार्ड में नाम परिवर्तन ही किया जा सकता है। बैयनामा शुद्वि के बिना नाम दुरस्त नही किया जा सकता है। इसलिए वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतःएवं वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। निर्णय आज **दिनांक** 27/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेष 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान

ब इजलास श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

रेशमसिंह बनाम् सरकार

दावा बाबत्– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं.–15/2020

जीसीएमएस नं.–**2020/00032**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वाद वादी प्रकरण के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक–27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़